

४

53
177

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश,
सर्किट कोर्ट रीवा, (म.प्र.)

177
30.6.14



f. 9.20/-

R. 2381- ॥ ॥ ॥

गणेश सिंह तनय चंद्रगोविन्द सिंह, निवासी ग्राम बोदा, तह. हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)
..... निगरानीकर्ता

बनाम

1. सत्यवती पाण्डेय पत्नी श्री बृजमोहन पाण्डेय,
2. बाल्मीकि प्रसाद तनय शिवप्रसाद चतुर्वेदी,
दोनो निवासी ग्राम बोदा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)
3. शासन मध्यप्रदेश।

..... गैर निगरानीकर्तागण

रवितनुतमिहे
द्वारा 30.6.14
प्रस्तुत 177
सर्किट कोर्ट रीवा
क्रमांक 2381
सोस्ट कुन आज
दि 25.7.14 का प्राप्त
कृष्ण औफ ट्राई
राजस्व मण्डल म.प्रमित्यवस्थर

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार, तहसील हुजूर,
जिला रीवा, (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 116 / अ-12 /
2012-13 आदेश दिनांक 07.06.2013

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व
संहिता 1959 ईस्वी।

निगरानी के आधार निम्नवत हैं :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं राजस्व निरीक्षक
द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही विधि एवं प्रक्रिया तथा वाक्यातों एवं
सहज न्यायिक सद्वांतों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है
अर्थात् काविले निरस्तगी है।

21.7.14
30.6.14

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R2381-III/14 जिला..... रीवा

..... गोशालिंग विरुद्ध सम्बन्धीयांडप

| 1 | 2 | 3 |
|---------|--|---|
| 15-1-19 | <p>1. आवेदक की ओर से श्री..... अधिवक्ता</p> <p>द्वारा यह उम्मेद तहसीलदार तहसील..... के</p> <p>प्रकरण क्रमांक 116/[२०] 12/12/13 में पारित आदेश</p> <p>दिनांक 07-06-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-</p> <p>राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप</p> <p>अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए)</p> <p>के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... के न्यायालय</p> <p>को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-3-19 को</p> <p>कलेक्टर..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> | |

अथोत काविले निरस्तगी है।

..... रायर रखे जाने योग्य नहीं है

राजस्व मण्डल
क्रमांक 6/14